राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1177/2024

शैतान सिंह यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. अजित कुमार बुंदेला, तहसीलदार, हाल पदस्थापित किशनगढ, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 05.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

निजी प्रत्यर्थी संख्या 3की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में तहसीलदार के पद पर तहसील किशनगढ, जिला अजमेर में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान से तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर में किया गया था। इसके पश्चात आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–2) के अन्य आदेश द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का आदेश पारित किया गया है। तत्पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10.03.2024 के द्वारा तहसीलदार अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर स्थानान्तरित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित करने की गरज से किया गया है। अपीलार्थी को पूर्व में आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर में पदस्थापित किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। बाद में अपीलार्थी को अल्पावधि में ही आदेश दिनांक 10.03.2024 से तहसीलदार अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में पदस्थापित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी का पूर्व में तहसीलदार किशनगढ, जिला अजमेर में

स्थानान्तरण आदेश दिनांक 31.07.2023 के द्वारा किया गया था और अपीलार्थी का अब पुनः अल्पावधि में स्थानान्तरण किया गया है, जो उचित नहीं है।

3. निजी प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए तहसीलदार किशनगढ, अजमेर के पद पर किया गया था, जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 26.02.2024 को कार्यग्रहण भी कर लिया है। वर्तमान में लोकसभा चुनाव में अपीलार्थी की ड्यूटी लगाई गई है। लोकसभा आम चुनाव 2024 का कार्यक्रम भी निर्धारित किया जा चुका है, जिसमें निर्वाचन कार्य सम्पादित करने के लिये अपीलार्थी की सहायक प्रभारी अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगाई गई है।
4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
5. अपीलार्थी का किशनगढ, अजमेर में पदस्थापन आदेश दिनांक 31.07.2023 के द्वारा किया गया था। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.03.2024 के द्वारा अल्प समय में किया जाना प्रकट नहीं होता है। यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी ने किशनगढ अजमेर का कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है और चूंकि लोकसभा चुनाव का कार्य भी अपीलार्थी को सौंपा गया है। वर्तमान में लोकसभ चुनाव घोषित हो चुके हैं। स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं आदेश दिनांक 10.03.2024 लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पारित किये गये है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाने का कोई उचित आधार नहीं है।
6. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)